

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 1986/वैशाख 23, 1908
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 1986/VAISAKHA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 13 मई, 1986

अधिसूचना

सा.का.नि. 745(अ):—केंद्रीय सरकार, मंत्रियों के सम्मेलनों और भत्तों से संबंधित अधिनियम, 1952 (1952 का 58) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. इन नियमों का नाम मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1986 है।

2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(1)]

2. मंत्रों (मन्त्री, विहितसहित उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 के च. I और नियम 3 का लोप किया जाएगा।

[फ.स. 10/41/35-एम.एंड.जी.]
ए.के.बसाक, सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 13th May, 1986

NOTIFICATION

G.S.R. 745(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salaries and Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely:—

1. These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1986.

2. Section I and rule 3 of the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957 shall be omitted.

[F. No. 10/41/85-M&G]
A. K. BASAK, Jr. Secy.